

प्रेस नोट

दिनांक -19.06.2021

थाना सट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 42/2021 धारा धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एंव अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 19.06.2021 को उ0नि0 थाना सट्टी का0दे0 मय हमराही कर्मचारी गणों द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी व रोकथाम जुर्म जरायम मे मामूर थे कि रुगांव ठेका अंग्रेजी शराब के सामने पहुंचकर उपरोक्त व्यक्ति को एक बारगी दबिश देकर समय करीब 4.30 बजे पकड लिया गया पकडे हुये व्यक्ति से नाम पता पूंछा गया तो उसने अपना नाम बीरेन्द्र कुमार पुत्र किशन कुमार नि0ग्राम भीखेपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया उम्र करीब 23 वर्ष बताया अभियुक्त उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुये गिरफ्तार कर थाना हाजा लाया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभि0 उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिनका वारण्ट बनाकर जिला कारागार माती दाखिल किया गया।

नाम पता अभि0 गण

1.बीरेन्द्र कुमार पुत्र किशन कुमार नि0ग्राम भीखेपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया उम्र करीब 23 वर्ष।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1-मु0अ0स0 12/2021 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 घ पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 420/468/471 भादवि थाना सट्टी जनपद का0दे0

2-मु0अ0स0- 42/2021 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के सदस्य

1. उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार यादव थाना सट्टी का0दे0
- 2.का0 945 अभिषेक कुमार थाना सट्टी का0दे0
- 3.मुख्य आरक्षी चालक महेश कुमार यादव थाना सट्टी का0दे0